नईदुनिया

संपादकीय

जेल नहीं, सुधार गृह की ओर मध्यप्रदेश का नया प्रयोग

मध्यप्रदेश *की जेलों में बंद कैदियों को लेकर एक नई पहल शुरू हुई है, जो लंबे समय से जरूरी मानी जा रही थी। अभी तक जेलों को सजा काटने की जगह के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन अब सोच बदल रही है कि क्या जेलों को सुधार गृह के रूप में विकसित किया जा सकता है। भोपाल सेंट्रल जेल से इस प्रयोग की शुरुआत होना सकारात्मक संकेत है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो पूरे प्रदेश की जेल व्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। प्रदेश में करीब 42 हजार बंदी हैं और उनमें 954 मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में केवल सजा देना समाधान नहीं है, बल्कि मानसिक और व्यवहारिक सुधार भी जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि कुछ अपराधी जेल से छूटने के बाद फिर अपराध की दुनिया में लौट आते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ती है, अदालत सजा देती है और वे फिर जेल आ जाते हैं। यह एक दुष्चक्र बन गया है। मध्यप्रदेश में पहली बार इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम शुरू किया गया है।*

भोपाल की सेंट्रल जेल में आदतन अपराधी और हार्डकोर कैदियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (आरआरयू) और केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से इस योजना को अंजाम दिया जा रहा है। गुजरात की यह यूनिवर्सिटी पहली बार मध्यप्रदेश की जेलों में वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन करेगी। इसका मकसद यह पता लगाना है कि आखिर क्यों कुछ लोग बार-बार अपराध करते हैं और उन्हें सुधारा कैसे जा सकता है।

इस प्रक्रिया को चार चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में शुरुआती स्क्रीनिंग होगी। फिलहाल भोपाल सेंट्रल जेल की महिला बंदियों की स्क्रीनिंग की जा रही है और अब आरआरयू की टीम के साथ सजायाफ्ता कैदियों की भी स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। दूसरे चरण में समस्याओं की पहचान होगी। इसमें नींद न आना और जेल के माहौल में ढलने में परेशानी जैसी मानसिक दिक्कतों का अध्ययन किया जाएगा। तीसरे चरण में जेल विभाग के स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सात दिन का बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा चुका है। चौथे चरण में समस्याओं की पहचान के बाद कैदियों की थेरेपी शुरू की जाएगी।

अब तक बंदियों को सुधारने के लिए योग, ध्यान और भजन जैसे पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल होता रहा है। अब विपासना के साथ आधुनिक थेरेपी, जैसे रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हार्डकोर अपराधियों के मानसिक और व्यवहार संबंधी कारणों को समझना जरूरी है, ताकि दोबारा अपराध की आशंका कम की जा सके।

डीजी जेल वरुण कपूर के अनुसार, इस सेंटर की शुरुआत भोपाल सेंट्रल जेल में सितंबर के पहले सप्ताह में होगी। दो महीने के भीतर इंदौर में भी सेंटर खोला जाएगा। इसके बाद प्रदेश की सभी 11 सेंट्रल जेलों में यह व्यवस्था शुरू होगी। अब तक दो हजार से ज्यादा बंदियों की साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग हो चुकी है।

जेल व्यवस्था का असली मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि सुधार करना होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जेल से निकलकर फिर अपराध करता है तो यह व्यवस्था की विफलता है। हार्डकोर शब्द के पीछे भी एक इंसान है, जिसकी अपनी कहानी और मानसिक स्थिति है। उसे समझे बिना अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता। थेरेपी और काउंसलिंग का यह मॉडल सफल रहा तो मध्यप्रदेश की जेलें केवल चारदीवारी नहीं, बल्कि सुधार की प्रयोगशाला बन सकती हैं।

आजकल

गधों की फायर ब्रिगेड, स्पेन के जंगल बचा रहे 18 गधे

स्पेन में जंगलों की आग रोकने के लिए अब इंसान नहीं, गधे काम कर रहे हैं। अंदालूसिया के डोनाना नेशनल पार्क में 18 गधों की विशेष टीम बनाई गई है। ये गधे रोज सात घंटे जंगल में घास खाते हैं और सूखी घास साफ करके प्राकृतिक फायरब्रेक बना देते हैं। गर्मियों में आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में ये गधे जंगल की सुरक्षा का अनोखा माध्यम बन गए हैं।

हर सुबह सात बजे इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है और शाम तक ये चरते रहते हैं। एक गधा एक दिन में 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा इलाका साफ कर देता है। इससे घास कम होने के कारण आग तेजी से नहीं फैल पाती। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में, जहां मशीनें नहीं पहुंच पातीं, वहां गधे आसानी से काम कर लेते हैं। इनके लिए न ईंधन की जरूरत होती है और न रखरखाव पर बड़ा खर्च।

डोनाना पार्क में इस प्रयोग के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। आग की घटनाएं 60 फीसदी तक कम हुई हैं और लागत भी घटी है। सफलता के बाद स्पेन सरकार ने इस मॉडल को देश के 62 और जंगलों में लागू करने का फैसला किया है। स्थानीय लोगों को गधों की देखभाल का काम मिला है, जिससे रोजगार भी पैदा हुआ है।

मशीनों से घास काटने पर मिट्टी और छोटे जीवों को नुकसान होता है, जबकि गधे घास खाकर उसे खाद में बदल देते हैं। इससे जमीन की उर्वरता बढ़ती है और पर्यावरण को भी लाभ होता है। साथ ही इको टूरिज्म को बढ़ावा मिला है।

भारत में भी हर साल जंगलों में आग लगती है, खासकर गर्मियों में हिमालय और दक्षिण भारत के जंगल प्रभावित होते हैं। स्पेन का यह मॉडल भारत के लिए भी उपयोगी हो सकता है। इससे आग पर नियंत्रण के साथ ग्रामीणों को रोजगार भी मिल सकता है। 18 गधों ने साबित किया है कि बड़ी समस्या का समाधान छोटे और सरल तरीके से भी निकाला जा सकता है।

भ्रष्टाचार रोकने रेलवे में बड़े बदलाव : चयन के लिए अब पोर्टल पर आवेदन, परीक्षा अनिवार्य

नई व्यवस्था : स्पेशल पोर्टल से होगी भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी

भारतीय रेलवे ने कंस्ट्रक्शन विंग में अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब कंस्ट्रक्शन विंग में काम करने के इच्छुक अधिकारियों को रेलवे के स्पेशल पोर्टल पर आवेदन करना होगा और इसके बाद लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू से गुजरना होगा। इसके साथ ही पांच साल के कार्यकाल के बाद हर अधिकारी का मूल्यांकन भी किया जाएगा और प्रदर्शन के आधार पर ही आगे की तैनाती तय होगी। रेल मंत्रालय का मानना है कि इस नई प्रक्रिया से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी और काम की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

पिछले कुछ समय से रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी और अधिकारियों की कमी की शिकायतें सामने आ रही थीं। खासकर दुर्गम और दूरदराज के इलाकों में काम करने के लिए अधिकारी तैयार नहीं होते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे ने यह नई नीति बनाई है, जिसके तहत चयन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत कंस्ट्रक्शन विंग में काम करने के लिए अधिकारियों को सबसे पहले रेलवे के स्पेशल पोर्टल पर अपना आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ उन्हें अपना सेवा रिकॉर्ड, योग्यता और पिछले काम का अनुभव भी अपलोड करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तकनीकी ज्ञान, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रेलवे से जुड़े नियमों पर आधारित होगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले अधिकारियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में उनके अनुभव, समस्या समाधान की क्षमता और फील्ड में काम करने की इच्छा को परखा जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट के आधार पर अधिकारियों को कंस्ट्रक्शन विंग में तैनात किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया से योग्य और इच्छुक अधिकारियों को ही मौका मिलेगा और मनमानी भर्ती पर रोक लगेगी।

नई नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंस्ट्रक्शन विंग में तैनात हर अधिकारी का हर पांच साल बाद मूल्यांकन किया जाएगा। यह मूल्यांकन उसके द्वारा पूरे किए गए प्रोजेक्ट्स, काम की गुणवत्ता, समय पर काम पूरा करने और टीम मैनेजमेंट के आधार पर होगा। यदि किसी अधिकारी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो उसे आगे भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और पदोन्नति में प्राथमिकता मिलेगी। वहीं, यदि किसी अधिकारी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा तो उसे कंस्ट्रक्शन विंग से हटाकर दूसरे विभाग में भेजा जा सकता है। रेलवे का कहना है कि इस व्यवस्था से अधिकारियों में जवाबदेही बढ़ेगी और वे प्रोजेक्ट्स को गंभीरता से लेंगे। पहले ऐसा होता था कि एक बार तैनाती होने के बाद अधिकारियों का कोई मूल्यांकन नहीं होता था, जिससे काम में लापरवाही बढ़ जाती थी।

रेलवे ने यह भी तय किया है कि जो अधिकारी पहाड़, जंगल और दूरदराज के इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, उन्हें विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इन क्षेत्रों में काम करना कठिन होता है, इसलिए सरकार ऐसे अधिकारियों को आवास भत्ता, अतिरिक्त छुट्टियां और पदोन्नति में वेटेज देने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही इन इलाकों में तैनात अधिकारियों के परिवारों के लिए भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे बिना किसी चिंता के काम कर सकें। रेलवे का मानना है कि प्रोत्साहन मिलने से अधिक से अधिक अधिकारी दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार होंगे और वहां चल रहे प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। पहले कंस्ट्रक्शन विंग में अधिकारियों की तैनाती ज्यादातर प्रशासनिक आधार पर होती थी। कई बार अनुभव और योग्यता को नजरअंदाज कर दिया जाता था, जिसके कारण प्रोजेक्ट्स में देरी होती थी। साथ ही दूरदराज के इलाकों में कोई भी अधिकारी जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां सुविधाओं की कमी और करियर में आगे बढ़ने के अवसर कम थे। इस वजह से कई बड़े रेल प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं हो पा रहे थे। जमीन अधिग्रहण से लेकर तकनीकी दिक्कतों तक हर स्तर पर अधिकारियों की कमी महसूस की जा रही थी। नई व्यवस्था में इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर बदलाव किए गए हैं।

चयनित अधिकारियों को कंस्ट्रक्शन विंग में भेजने से पहले विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण दो से तीन सप्ताह का होगा और इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नई तकनीक, सुरक्षा मानक और फील्ड में आने वाली चुनौतियों से निपटने की जानकारी दी जाएगी। रेलवे अकादमी और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में यह ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को वास्तविक प्रोजेक्ट साइट पर भी ले जाया जाएगा, ताकि वे जमीनी हकीकत को समझ सकें। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षण से अधिकारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे।

रेल मंत्रालय का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। स्पेशल पोर्टल के जरिए आवेदन से लेकर चयन तक हर प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे किसी भी प्रकार की सिफारिश और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। पांच साल का मूल्यांकन सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी लगातार अच्छा प्रदर्शन करें और जनता के पैसे से बनने वाले प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हों। साथ ही दुर्गम क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन देने से क्षेत्रीय असंतुलन भी कम होगा।

रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन विंग में काम का दबाव बहुत अधिक होता है और योग्य लोगों के अभाव में प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं। नई व्यवस्था से योग्य और इच्छुक लोगों को मौका मिलेगा। हालांकि कुछ अधिकारियों का मानना है कि केवल परीक्षा और इंटरव्यू से ही योग्यता तय नहीं हो सकती। फील्ड का अनुभव भी उतना ही जरूरी है। इसलिए चयन प्रक्रिया में व्यावहारिक परीक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए।

रेलवे में कंस्ट्रक्शन विंग के लिए लागू की गई यह नई व्यवस्था एक बड़ा सुधार है। ऑनलाइन आवेदन, पारदर्शी चयन, नियमित मूल्यांकन और दुर्गम क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन चारों मिलकर ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, जिससे रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी और काम की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। देशभर में रेलवे के सैकड़ों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें हाई स्पीड कॉरिडोर, नई रेल लाइन और स्टेशनों का पुनर्विकास शामिल है। इन सभी को समय पर पूरा करने के लिए कुशल और समर्पित अधिकारियों की जरूरत है। नई नीति उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस योजना को जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, यह महत्वपूर्ण होगा। यदि इसे सही तरीके से अमल में लाया गया तो निश्चित रूप से भारतीय रेलवे के कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू होगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

अब हर शहरी भूखंड का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड

ड्रोन से होगा हवाई सर्वे और मिलेगा कानूनी आधार

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत पहले ही 37 करोड़ से अधिक भूखंडों की पहचान हो चुकी है और 14 अंकों की विशिष्ट भूमि पहचान संख्या जारी की जा चुकी है। अब शहरी क्षेत्रों में भी इसी तर्ज पर काम शुरू हुआ है, ताकि देशभर में जमीन का एकीकृत डिजिटल डेटा तैयार हो सके। शहरी भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में सबसे बड़ी भूमिका ड्रोन और हवाई सर्वे की होगी। पारंपरिक तरीके से शहरों में जमीन की पैमाइश करना कठिन होता था, क्योंकि वहां इमारतें, सड़कें और घनी आबादी होती है। ड्रोन के जरिए ऊपर से स्पष्ट तस्वीरें ली जाएंगी और भू-स्थानिक तकनीक से हर भूखंड की सटीक सीमा तय की जाएगी।

देश में भूमि रिकॉर्ड को लेकर बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। सरकार अब शहरों की जमीन को भी गांवों की तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने जा रही है। नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस यानी नक्शा योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में हवाई सर्वे, ड्रोन और भू-स्थानिक तकनीक से हर भूखंड की सीमा, आकार और स्थिति का डिजिटल नक्शा तैयार किया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट अभी 157 शहरी स्थानीय निकायों में चल रहा है। इसके नतीजों के आधार पर इसे 1000 शहरों तक ले जाया जाएगा और बाद में चरणबद्ध तरीके से देश के सभी 4912 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड को जीआईएस आधारित आधुनिक व्यवस्था में लाना है, ताकि जमीन से जुड़े विवाद कम हों और नागरिकों को पारदर्शी सेवाएं मिल सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत पहले ही 37 करोड़ से अधिक भूखंडों की पहचान हो चुकी है और 14 अंकों की विशिष्ट भूमि पहचान संख्या जारी की जा चुकी है। अब शहरी क्षेत्रों में भी इसी तर्ज पर काम शुरू हुआ है, ताकि देशभर में जमीन का एकीकृत डिजिटल डेटा तैयार हो सके। शहरी भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में सबसे बड़ी भूमिका ड्रोन और हवाई सर्वे की होगी। पारंपरिक तरीके से शहरों में जमीन की पैमाइश करना कठिन होता था, क्योंकि वहां इमारतें, सड़कें और घनी आबादी होती है। ड्रोन के जरिए ऊपर से स्पष्ट तस्वीरें ली जाएंगी और भू-स्थानिक तकनीक से हर भूखंड की सटीक सीमा तय की जाएगी।

इस प्रक्रिया में पुराने नक्शों को भी डिजिटल किया जाएगा और उन्हें राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। इससे पता चल सकेगा कि किसी भूखंड का मौजूदा स्वामित्व क्या है, उसकी रजिस्ट्री कब हुई और नामांतरण की स्थिति क्या है। फिलहाल रजिस्ट्री और नामांतरण दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। सरकार अब इन्हें जोड़ने की तैयारी कर रही है, ताकि रजिस्ट्री होते ही नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। 17 राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। हालांकि नोटिस, आपत्ति, सत्यापन और सुनवाई जैसी कानूनी प्रक्रियाएं पहले की तरह ही चलेंगी। 31 जनवरी तक देश के 95 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है और 88 प्रतिशत कार्यालयों के बीच एकीकरण भी पूरा हो गया है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित भूमि अधिकार रिकॉर्ड को कागज की प्रमाणित प्रति के बराबर कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की गई है। इससे नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें बार-बार तहसील और रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जमीन की खरीद-बिक्री, नामांतरण और ऋण लेने जैसी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो जाएंगी। साथ ही कागजी रिकॉर्ड के गुम होने, फटने या जालसाजी की संभावना भी कम होगी। हालांकि इस योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती पुराने नक्शों और कागजी रिकॉर्ड की है। कई शहरों में दशकों पुराने नक्शे जमीन की मौजूदा स्थिति से मेल नहीं खाते। जमीन के बंटवारे, एकीकरण और सरकारी अधिग्रहण के बाद भूखंडों की स्थिति बदल चुकी है। ऐसे में केवल पुराने कागजों को डिजिटल कर देने से समस्या हल नहीं होगी। मौके पर जाकर जमीन की सीमा की पुष्टि करनी होगी और जरूरत पड़ने पर नया सर्वे कराना होगा। पुराने कागजी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना भी जरूरी होगा, क्योंकि कई कानूनी मामलों में पुराने दस्तावेज सबूत के तौर पर मांगे जाते हैं।

31 जनवरी तक देश की 72 प्रतिशत से अधिक तहसीलों में आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित किए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत 37 करोड़ से अधिक भूखंडों की पहचान की गई है और उन्हें 14 अंकों की यूनिक आईडी दी गई है। यह व्यवस्था 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस डिजिटल पहचान का इस्तेमाल आगे रजिस्ट्री, नामांतरण, ऋण, फसल बीमा और सरकारी योजनाओं में किया जाएगा।

इस पूरे अभियान से सबसे बड़ा लाभ आम नागरिक को होगा। जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी, प्रॉपर्टी खरीदते समय धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और बैंकों को भी लोन देने में आसानी होगी। सरकार के लिए भी जीआईएस आधारित डेटा शहरी नियोजन, सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की योजना बनाने में मददगार होगा। अवैध कब्जे और अतिक्रमण को रोकना आसान होगा तथा टैक्स वसूली में पारदर्शिता आएगी। व्यवसाय और रियल एस्टेट सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिलेगा।

योजना को सफल बनाने के लिए तकनीकी क्षमता, डेटा सुरक्षा और जन जागरूकता पर ध्यान देना होगा। ड्रोन, जीआईएस और डेटा स्टोरेज के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत होगी। साइबर हमलों से बचाने के लिए मजबूत सिस्टम बनाना होगा और लोगों को डिजिटल रिकॉर्ड के इस्तेमाल तथा उसमें सुधार की प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी।

शहरी भारत में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हर भूखंड का डिजिटल नक्शा और कानूनी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा तो जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे और विकास की योजनाएं तेजी से लागू हो सकेंगी। ड्रोन से सर्वे, डिजिटल नक्शा और कागज के बराबर कानूनी मान्यता मिलकर ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं, जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और सुविधा एक साथ मिलेंगी। **(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)**

भाजपा के संसदीय बोर्ड में होगा बड़ा बदलाव, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर

संगठनात्मक बदलाव के बाद अब निगाहें शीर्ष निकायों पर

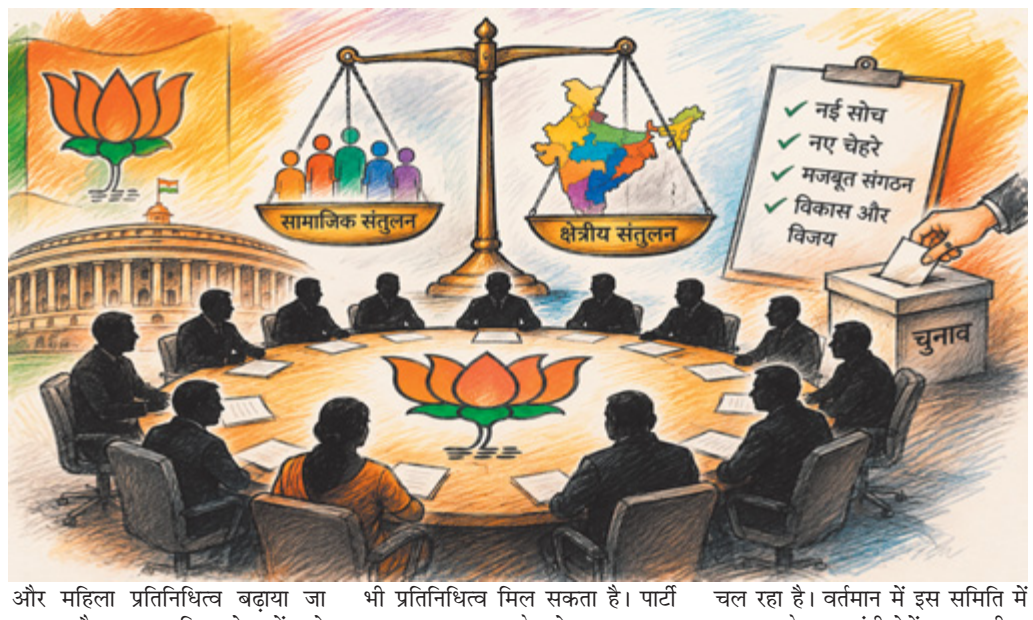

भाजपा में संगठनात्मक बदलाव का एक बड़ा दौर पूरा होने के बाद अब पार्टी की निगाहें अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णयकारी निकायों पर टिकी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम और राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब पार्टी के भीतर संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के पुनर्गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी नए सिरे से गठन किया जाना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिस तरह नई राष्ट्रीय टीम में संगठनात्मक, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है, उसी तर्ज पर अब संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में भी बदलाव किए जाएंगे।

यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले वर्ष पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा सहित कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्रीय चुनाव समिति का नया स्वरूप पार्टी की चुनावी रणनीति का संकेत भी देगा। माना जा रहा है कि नए चेहरों के साथ-साथ सामाजिक प्रतिनिधित्व को भी इसमें जगह मिलेगी। संसदीय बोर्ड भाजपा का सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है। पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक फैसलों में इसकी केंद्रीय भूमिका होती है। प्रमुख पदों पर नियुक्तियां, गठबंधन से जुड़े फैसले, महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे मामलों में अंतिम निर्णय इसी बोर्ड द्वारा लिया जाता है।

वर्तमान में बोर्ड में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, बीएल संतोष, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. के. लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, डॉ. सुधा यादव और डॉ. सत्यनारायण जटिया जैसे नाम शामिल हैं। संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य केंद्रीय चुनाव समिति के भी सदस्य होते हैं। इसलिए बोर्ड में होने वाला कोई भी बदलाव सीधे चुनावी फैसलों पर असर डालता है।

पार्टी के भीतर माना जा रहा है कि इस बार संसदीय बोर्ड के गठन में सामाजिक संतुलन को विशेष तवज्जो दी जाएगी। नई राष्ट्रीय टीम में जिस तरह विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के नेताओं को जगह दी गई है, उसी आधार पर बोर्ड में भी ओबीसी, एससी, एसटी और महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। कुछ वरिष्ठ नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारी देकर बोर्ड में युवाओं और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए दक्षिण और पूर्वोत्तर के नेताओं को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। पार्टी का मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार करना है।

संसदीय बोर्ड के साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति के पुनर्गठन पर भी मंथन चल रहा है। वर्तमान में इस समिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वनथी श्रीनिवासन जैसे नेता सदस्य हैं। माना जा रहा है कि चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसमें जगह दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्व सरमा जैसे नेताओं के नाम पर भी विचार हो रहा है। चुनाव समिति में राज्यों के चुनाव प्रभारी और संगठन महासचिवों की भूमिका भी अहम रहती है। इसलिए इसमें संगठन के अनुभवी लोगों के साथ चुनावी रणनीति में माहिर नेताओं को शामिल किया जा सकता है।

यह बदलाव केवल फेरबदल नहीं है, बल्कि पार्टी की लंबी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा ने हमेशा संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। नई टीम में ऐसे नेताओं को आगे लाया जा रहा है, जो जमीनी स्तर पर काम कर सकते हैं और पार्टी के विस्तार में मदद कर सकते हैं। सामाजिक समीकरण साधना भी इस बदलाव का एक बड़ा कारण है। देश के अलग-अलग हिस्सों में जातीय और सामाजिक समीकरण चुनाव परिणाम तय करते हैं। ऐसे में बोर्ड और चुनाव समिति में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है।

संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के नए गठन के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन फैसलों को जमीन पर लागू करना होगी। नए सदस्यों को संगठन और चुनावी मशीनरी के साथ तालमेल बिठाना होगा। साथ ही पुराने और नए नेताओं के बीच समन्वय बनाए रखना भी जरूरी होगा। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि बदलाव के बाद संगठन और अधिक मजबूत हो और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हो। आने वाले महीनों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन बदलावों की औपचारिक घोषणा की जा सकती है।

भाजपा के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में होने वाला बदलाव पार्टी की भविष्य की दिशा तय करेगा। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के साथ-साथ नए चेहरों को मौका देना यह दर्शाता है कि पार्टी समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार है। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह पुनर्गठन पार्टी की चुनावी तैयारी का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इससे संगठन में नई ऊर्जा आने और कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं को भी सकारात्मक संदेश देने की उम्मीद है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)